प्रेस नोट
दिनांक 23.01.2026
जनपद – गोण्डा

रिज़र्व पुलिस लाइन गोण्डा में सौहार्द, एकता एवं परंपरागत सहयोग की भावना को सुदृढ़ करने हेतु "बड़ा खाना" कार्यक्रम का भव्य आयोजन-

दिनांक 22.01.2026 को जनपद गोण्डा में पुलिस बल के मध्य आपसी सौहार्द, एकता, भाईचारा एवं परंपरागत सहयोग की भावना को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा रिज़र्व पुलिस लाइन गोण्डा में "बड़ा खाना" कार्यक्रम का आयोजन अत्यंत गरिमामयी, अनुशासित एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में करा गया । उक्त कार्यक्रम में मंडलायुक्त देवीपाटन मण्डल श्री शशि भूषण लाल सुशील, पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र श्री अमित पाठक तथा जिलाधिकारी गोण्डा श्रीमती प्रियंका निरंजन की गरिमामयी उपस्थिति रही । इसके अतिरिक्त जनपद के अन्य वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारीगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण तथा बड़ी संख्या में पुलिस जवान कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा स्वयं पुलिस जवानों को भोजन परोसकर उनके प्रति सहभागिता, अपनत्व एवं सम्मान की भावना व्यक्त की गई। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भोजन परोसने का यह भावपूर्ण दृश्य पुलिस बल के भीतर पारस्परिक विश्वास, समन्वय एवं पारिवारिक वातावरण को दर्शाने वाला रहा।
मंडलायुक्त महोदय एवं पुलिस महानिरीक्षक महोदय द्वारा पुलिस बल की कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन एवं जनसेवा के प्रति समर्पण की सराहना की गई और कहा गया कि इस प्रकार के आयोजनों से पुलिस बल का मनोबल बढ़ता है और आपसी समन्वय को मजबूती मिलती है। पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा उपस्थित जवानों से संवाद करते हुए कहा गया कि पुलिस बल की वास्तविक शक्ति उसकी एकता, टीम भावना एवं आपसी सहयोग में निहित है। उन्होंने जवानों के कठिन परिश्रम एवं निष्ठापूर्ण सेवा की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम वरिष्ठ अधिकारियों एवं जवानों के मध्य संवाद को सुदृढ़ करते हैं और कार्यक्षमता को और अधिक प्रभावी बनाते हैं।
जिलाधिकारी गोण्डा द्वारा भी पुलिस बल की भूमिका की सराहना करते हुए कहा गया कि प्रशासन एवं पुलिस के बीच बेहतर समन्वय से जनपद में कानून-व्यवस्था एवं जनसुरक्षा को और अधिक सशक्त बनाया जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान सभी अधिकारियों एवं जवानों ने एक साथ बैठकर भोजन ग्रहण किया, जिससे आपसी सौहार्द, समन्वय एवं परंपरागत पुलिस संस्कृति को बढ़ावा मिला। यह आयोजन पुलिस को परिवार के रूप में कार्य करने की भावना को और अधिक मजबूती प्रदान करने वाला रहा । "बड़ा खाना" कार्यक्रम पूर्णतः शांतिपूर्ण, अनुशासित एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ
इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय, समेत समस्त क्षेत्राधिकारी/थाना प्रभारीगण उपस्थित रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 23.01.2026

थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के वांछित आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-
श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री अभिषेक दावाच्याँ के नेतृत्व में थाना कर्नलगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 12/2026, धारा 108 बीएनएस से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त विष्णु कश्यप पुत्र जगदेव कश्यप निवासी सोनवारा उलुसदारपुरवा थाना को0 कर्नलगंज, जनपद गोण्डा को सब्जी मंडी, कर्नलगंज से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
वादी श्री दीप सिंह पुत्र बुधसागर सिंह नि० ग्राम दिनारी (दौनपुरवा) थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना कर्नलगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी पुत्री जान्ह्वी सिंह उम्र करीब 17 वर्ष को फोन से एक लड़का विष्णु कश्यप पुत्र जगदेव कश्यप परेशान करता था, जो उसे पूर्व में अपहरण करके ले गया था जिसके संबंध में थाना कर्नलगंज पर अभियोग पंजीकृत हैं जिसमें विपक्षी द्वारा लगातार सुलह का दबाव बनाया जा रहा था। जिस कारण मानसिक दबाव में आकर उसने दिनांक 08.01.2026 को घर में दुपट्टे से फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 कर्नलगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकत हुआ। आज दिनांक 23.01.2026 को थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त विष्णु कश्यप पुत्र जगदेव कश्यप को सब्जी मंडी, कर्नलगंज से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-
01. विष्णु कश्यप पुत्र जगदेव कश्यप निवासी सोनवारा उलुसदारपुरवा थाना को0 कर्नलगंज, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-
01. मु0अ0सं0- 12/26 धारा 108 बीएनएस थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-
01. उ0नि0 शरद कुमार
02. कां0 सत्येन्द्र कुमार प्रथम

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 23.01.2026

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा 03 शातिर वाहन चोरों को किया गया गिरफ्तार किया गया, कब्जे से 07 अदद चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद-

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा रात्रि गश्त व क्षेत्र भ्रमण के दौरान 03 शातिर वाहन चोरों 01. आसिफ अली पुत्र मोहब्बत अली निवासी पटेल नगर थाना कोतवाली नगर गोण्डा, 02. अमरनाथ यादव पुत्र रमाशंकर यादव निवासी झिलाही बाजार थाना मनकापुर गोण्डा, 03. जैद अली पुत्र नौशाद अली सिद्दकी निवासी पटेल नगर मलियाना थाना कोतवाली नगर गोण्डा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे व निशानदेही पर 07 अदद चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 23.01.2026 को उ0नि0 अंकित सिंह चौकी प्रभारी मिश्रौलिया थाना कोतवाली नगर मय हमराह रात्रि गश्त व देखभाल क्षेत्र में भ्रमणशील थे, इस दौरान मिश्रौलिया ओवरब्रिज के पास पर संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान वाहन चोरों 01. आसिफ अली पुत्र मोहब्बत अली निवासी पटेल नगर थाना कोतवाली नगर गोण्डा, 02. अमरनाथ यादव पुत्र रमाशंकर यादव निवासी झिलाही बाजार थाना मनकापुर गोण्डा, 03. जैद अली पुत्र नौशाद अली सिद्दकी निवासी पटेल नगर मलियाना थाना कोतवाली नगर गोण्डा को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उनके कब्जे व निशानदेही पर 07 अदद मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय गोण्डा रवाना किया गया।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण द्वारा पुलिस पूछताछ के दौरान बताया गया कि हम तीनों चोर हैं और जिन 02 गाडियों हीरो एचएफ डिलक्स (UP43AG7513) व बिना नंबर हीरो सुपर स्पलेण्डर से आ रहे थे वे चोरी की हैं। कई सालों से हम लोग भीड़भाड़ वाले स्थानों से मोटरसाइकिलें चोरी करके उनके नंबर-प्लेट हटाकर गांव देहात के लोगों को अच्छे दाम लेकर अपनी मोटरसाइकिल बताकर बेच देते हैं, तथा उनके द्वारा मोटरसाइकिलों के पेपर मांगने पर हम लोग बाद में देने का आश्वासन देकर फिर उन्हें मोटरसाइकिलों के पेपर नहीं देते थे। मोटरसाइकलों की बिक्री से जो रुपये प्राप्त होते हैं उसे हम लोग आपस में बांट लेते हैं, जिससे हम लोगों अपना खर्च चलाते है। पकड़े जाने के डर से चोरी की मोटरसाइकिलों के इंजन नबर व चेचिस नं0 को भी घिस देते हैं अथवा उसके किसी अंक को समाप्त कर देते हैं ताकि उक्त मोटरसाइकिलों का वास्तविक जानकारी किसी को न हो सके। इस समय ग्राहक न मिलने पर हम लोगों द्वारा कुछ चोरी की मोटरसाइकिलों को डीजल डिपो के पीछे घनी झाड़ियों वाले स्थान पर छिपाकर रखा गया है ताकि कोई जान न पाये क्योंकि उस जगह पर लोगों का आना जाना नहीं रहता। कोई ग्राहक न मिलने के कारण उक्त मोटरसाइकिलों को हम लोग किसी लोडर पर लोड करके उन्हें छिपाकर नेपाल ले जाकर बेचने की फिराक में थे। आज हम तीनो लोग जो गाड़ियां हमने उस जगह छिपाकर रखी है उसे देखने के लिये ही जा रहे थे कि आप लोग द्वारा पकड़ लिया गया। गाड़ियों के छिपाने के स्थान पर पहुँचकर झाड़ी में से गाड़ियों को निकाला गया तो कुल 05 मोटरसाइकिलें वहाँ से बरामद हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. आसिफ अली पुत्र मोहब्बत अली उम्र 29 वर्ष निवासी पटेल नगर थाना कोतवाली नगर गोण्डा,
02. अमरनाथ यादव पुत्र रमाशंकर यादव उम्र 24 वर्ष निवासी झिलाही बाजार थाना मनकापुर गोण्डा,
03. जैद अली पुत्र नौशाद अली सिद्दकी उम्र 22 वर्ष निवासी पटेल नगर मलियाना थाना कोतवाली नगर गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 80/2026 धारा 317 (2) बी0एन0एस0 थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. हीरो एचएफ डिलक्स (UP 43 AG 7513)
02. हीरो सुपर स्प्लेण्डर (UP 43 AP 2463)
03. हीरो सुपर स्प्लेण्डर (UP 40 AE 3979)
04. हीरो सुपर स्प्लेण्डर (UP 51 AN 1044)
05. हीरो एचएफ डिलक्स (UP 55 AC 9758)
06. हीरो (बिना नंबर)
07. हारो होण्डा सीडी डिलक्स (बिना नंबर)

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 अंकित सिंह व मय हमराह
02. उ0नि0 अविनाश सिंह
03. उ0नि0 अंकित उपाध्याय
04. का0 अमित यादव
05. का० अमित तोमर
06. का० प्रभाकर यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।